सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 549 राँची, मंगलवार 13 श्रावण 1937 (श०)

4 अगस्त, 2015 (ई०)

योजना सह वित्त विभाग

संकल्प

30 जुलाई, 2015

विषयः **झारखण्ड राज्य के विभिन्न कोषागारों में पदस्थापित कोषागार संवर्ग के अराजपत्रित एवं अनुसचिवीय कर्मियों (समूह 'ग' एवं 'घ') का संवर्ग राज्य स्तरीय करने के संबंध में।**

सं०: वि०प्र० 17/को०अरा०स्था०- 4001/2015/2202/वि०--अविभाजित बिहार राज्य के वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 47/को०ले०, दिनांक 25 जनवरी, 1999 द्वारा कोषागार एवं लेखा प्रशासन को विकेन्द्रित कर जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में देते हुए कोषागार के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों का संवर्ग उस जिला के स्तर पर निर्धारित किया गया, जहाँ वे कार्यरत थे। इनके संबंध में सभी प्रशासनिक शक्तियाँ यथा नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सभी प्रकार के दण्ड देने की शक्ति जिलाधिकारी को सौंपी गयी। सम्प्रति झारखण्ड राज्य के कोषागारों के संदर्भ में यही व्यवस्था लागू है तथा यह उपायुक्त के अधीन है।

2. कोषागार कार्यालय में कार्यरत लिपिकों का संवर्ग समाहरणालय संवर्ग से भिन्न है। कोषागार लिपिकों के संवर्ग का विलय भी समाहरणालय संवर्ग में नहीं किया गया है। सम्प्रति कोषागारों/उप कोषागारों का प्रशासनिक नियंत्रण उपायुक्त के अधीन है एवं इनका संवर्ग समाहरणालय संवर्ग से अलग संबंधित जिले के कोषागारों तक ही सीमित है, इसलिए इनका स्थानांतरण अन्य

कोषागारों/उप कोषागारों में नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में कोषागार संवर्ग के लिपिक 15-20 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है, एतदर्थ मानव संसाधन का अपेक्षित रूप से कुशलता से उपयोग करने में निम्नांकित कठिनाई हो रही थी:-

(i) राज्य के कोषागारों के लिपिकीय संवर्ग में 402 पद स्वीकृत है। राज्य गठन के पश्चात् उपायुक्तों (नियुक्ति पदाधिकारी) द्वारा रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों की प्रतिनियुक्ति से कोषागार संचालित है लेकिन इसके बाद भी अत्यधिक रिक्तियों के कारण कार्य की गुणवता प्रभावित हो रही है।

(ii) राज्य के कोषागारों को ई-गर्वनेंस के अंतर्गत Integrated Fund Management System (I.F.M.S.) का क्रियान्वयन पदों के रिक्त रहने के कारण प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है।

(iii) कोषागार लिपिकों का संवर्ग संबंधित जिले के कोषागार तक ही सीमित है जो प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसा इसलिए कि उनका स्थानान्तरण दूसरे जिले में (जिला स्तरीय संवर्ग से बाहर) नहीं किया जा सकता है।

(iv) कोषागारों के गुणात्मक संवर्धन के लिए सभी रिक्तियों को भरने हेतु राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसका कारण यह है कि कोषागारों का जिला स्तरीय संवर्ग का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित ही नहीं है। यह कार्य प्रमंडलीय आयुक्तों के द्वारा किया जाना है। विगत अनुभव यह है कि पत्राचारों के माध्यम से कोई अपेक्षित प्रगति समयबद्ध रूप से नहीं हो पा रही है।

(v) कोषागार में समूह 'घ' से समूह 'ग' में नियुक्ति से संबंधित एक अवमाननावाद में अनुपालन के निमित्त राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जानी है, जो वर्त्तमान संवर्गीय स्थिति में असुविधाजनक है। राज्य स्तरीय संवर्ग होने से कोषागारों में रिक्तियों को केन्द्रीयकृत रूप से भरने में सुविधा भी होगी एवं मानव संसाधन का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

3. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोषागारों में कार्यरत अराजपत्रित तथा अनुसचिवीय कर्मियों (समूह 'ग' एवं 'घ') का संवर्ग राज्य स्तरीय घोषित करते हुए स्थापना संबंधी कार्य को केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत् निम्नरूपेण योजना सह वित्त विभाग में सन्निहित किया जाता है:-

(i) वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 47/को॰ले॰ दिनांक 25 जनवरी, 1999 को इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से निरस्त करते हुए झारखण्ड राज्य में कोषागार संवर्ग के कर्मियों की स्थापनामूलक शक्तियाँ योजना सह वित्त विभाग में सन्निहित की जाती है।

कोषागार कर्मियों के संवर्ग का नियंत्रण उपायुक्त द्वारा किये जाने संबंधी अन्य संकल्प/परिपत्र आदि भी इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से निरस्त किये जाते हैं।

(ii) अराजपत्रित तथा अनुसचिवीय कर्मियों का संवर्ग राज्य स्तरीय होने के कारण कर्मियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवाशर्त्त का निर्धारण, दण्ड देने का अधिकार एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड के द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

(iii) कोषागार संवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता का निर्धारण कोषागार संवर्ग में उनके योगदान तिथि के अनुसार किया जायेगा।

(iv) उपायुक्तों का कोषागारों पर कार्य संबंधी नियंत्रण (Functional & operational Control) तथा पर्यवेक्षकीय एवं निरीक्षकीय दायित्व पूर्ववत् रहेगा।

(v) पूर्व से कार्यरत कर्मियों के वेतनादि में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा।

(vi) लिपिक के पद पर नई नियुक्ति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों के लिए अधिसूचित नियमावली, 2010 (अधिसूचना सं॰ 1749 दिनांक 27 मार्च, 2010) के अनुसार की जायेगी।

(vii) कोषागार संवर्ग के कर्मियों के संबंध में कोई भी दिशा- निदेश कोषागार पदाधिकारी सीधे योजना सह वित्त विभाग से प्राप्त करेंगे।

(viii) राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित होने के फलस्वरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति होने तक समाहरणालय संवर्ग के प्रतिनियुक्त लिपिक राज्य के कोषागारों में कार्यरत रहेंगे किन्तु विशेष परिस्थिति में पद रिक्ति की स्थिति में आवश्यक होने पर उपायुक्त द्वारा समाहरणालय संवर्ग से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पूर्ववत् कोषागार में बाद में भी की जा सकेगी।

(ix) इस संकल्प के प्रभावी होने की तिथि तक पूर्व के आदेशों के अधीन किए गए समस्त कार्य उनमें वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैध माने जायेंगे।

4. यह आदेश संकल्प निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति योजना सह वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2158/वि॰ दिनांक 27 जुलाई, 2015 के क्रम में दिनांक 28 जुलाई, 2015 की बैठक के मद सं॰ 07 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 549—50 ।